अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को पौधारोपण हेतु सहायता (वनीकरण सुरक्षात्मक व्यवस्थापन)

वनीकरण योजना के अन्तर्गत वन विभाग के माध्यम से इको टयूरिज्म सुविधाओं का विकास, जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण, नर्सरी में आधारभूत संरचना/कार्य का निर्माण आदि सम्मिलित है। प्रकिया, नियम व शर्ते निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	योजना का नाम	**अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को पौधारोपण हेतु सहायता (वनीकरण सुरक्षात्मक व्यवस्थापन)**
1	देय लाभ	अनुसूचित क्षेत्र के उदयपुर, डूंगरपुर, बाँसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिलों में वन विभाग के माध्यम से पौधारोपण कार्य कराया जाता है। योजनानुसार वर्ष 2014–15 में बाँसवाड़ा जिले के 450 हेक्टर क्षेत्र में पौधारोपण कार्य के चतुर्थ वर्ष डूंगरपुर में 340 हेक्टर में पौधारोपण का तृतीय तथा उदयपुर जिले के 100 हेक्टर का तृतीय वर्ष सहित कुल 890 हेक्टर क्षेत्र में रख–रखाव के कार्य होंगे तथा सभी जिलों में 1780 हेक्टर क्षेत्र में नवीन पौधारोपण कार्य सम्पादित होंगे। इस प्रकार 2670 हेक्टर क्षेत्र में पौधारोपण कार्य किया जाना है।
2.	लक्षित लाभार्थी	वर्ष 2014–15 में अनुसूचित क्षेत्र में 2670 हेक्टर भूमि में पौधारोपण प्रस्तावित है। (बी.पी.एल.)
3.	पात्रता	अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति बी.पी.एल. हों।
4.	आवेदन कहाँ प्रस्तुत किया जाना है	संबंधित जिले के वन विभाग कार्यालय में।
5.	आवेदन के साथ वांछित दस्तावेज	बीपीएल कार्ड सहित श्रमिक को कार्य स्थल पर उपस्थित होना है।
6	स्वीकृति की प्रक्रिया	अनुसूचित क्षेत्र का अनुसूचित जनजाति व्यक्ति जो बीपीएल कार्डधारी हो को प्राथमिकता से लाभान्वित किया जाता है।
7.	स्वीकृत कर्ता अधिकारी	वन विभाग
8.	वितरणकर्ता अधिकारी	वन विभाग
9.	वितरण की प्रक्रिया	पहले आओ पहले पाओ
10	विशेष विवरण	–